न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :–290 / 2024

प्रार्थी

1 चेतनराम पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी जैतपुर चौखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 अणदाराम पुत्र सामाराम जाति जाति निवासी जैतपुर चौखला तहसील बाटाडू जिला बाडमेर 2 तहसीलदार बाटाडू।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री कुम्भाराम चौधरी, वकील प्रार्थी।
2. श्री नरपत पूनड़, वकील अप्रार्थी संख्या 01।

आदेश

दिनांक 14/01/25

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा जैतपुर पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 562 / 380 रकबा 1.5361 हैक्टेयर व खसरा संख्या 565 / 526 रकवा 0.6795 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि आई हुई है। प्रार्थी की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि मौजा जैतपुर पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 529 / 380 रकबा 6.4316 हैक्टेयर भूमि में से रास्ते से सड़क मार्ग तक जाने का एक–मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थी के पास में कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी जोत में आने–जाने हेतु संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल से दर्शाइ गई भूमि की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 01 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नही किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब बन्द किया जाता है। तहसीलदार बायतु से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बायतु ने पत्रांक राजस्व / 2023 / 215 दिनांक 27.07.2023 द्वारा मौका रिपोर्ट उपलब्ध करवाते हुए अंकित किया कि प्रार्थी की खातेदारी की मौजा जैतपुरा पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 562 / 380 रकबा 1.5361 हैक्टेयर व खसरा संख्या 565 / 526 रकबा 0.6795 हैक्टेयर भूमि में से सड़क तक आने–जाने हेतु मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा संख्या 529 / 380 में बिन्दु संख्या ए से बी जहां प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 562 / 380 के आवागमन हेतु रास्ता प्रस्तावित किया गया है वह वर्तमान में खाली पड़ी है शेष भूमि पर बाजरी व मूंगफली बोई हुई है बिन्दु संख्या ए से बिन्दु संख्या बी तक प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 562 / 380 तक आवागमन हेतु रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित रास्ता मौके पर खाली है, जो निम्नानुसार रास्ता प्रस्तावित किया गया है :–

क्र. सं.	खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	किस्म	रास्ता लम्बाई X चौड़ाई (फीट में) प्रस्तावित मार्ग का रकबा		प्रस्तावित मार्ग का रकबा
1	2	3	4	5	6	7	9
1	अणदाराम पुत्र सामाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	529 / 380	6.4316	बा.दो.	380	18	0.0631 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

मौका रिपार्ट पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। तहसीलदार बायतु के प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शा का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बायतु ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा संख्या 529/380 में विन्दु संख्या ए से बी जहां प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 562/380 के आवागमन हेतु रास्ता प्रस्तावित किया गया है वह वर्तमान में खाली पड़ी है शेष भूमि पर बाजरी व मूंगफली बोई हुई है विन्दु संख्या ए से विन्दु संख्या बी तक प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 562/380 तक आवागमन हेतु रास्ता प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251-क के तहत "प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।" जो तहसीलदार बायतु की रिपोर्ट से स्पष्ट है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र तहसीलदार बायतु की रिपोर्ट के परीप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना -पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा जैतपुरा पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 562/380 रकबा 1.5361 हैक्टेयर व खसरा संख्या 565/526 रकबा 0.6795 हैक्टेयर भूमि में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि में से सड़क मार्ग तक पहुचने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि मौजा जैतपुरा पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 529/380 रकबा 6.4316 हैक्टेयर भूमि में से निम्नानुसार रास्ता स्वीकार किया जाता है :-

क्र. सं.	वर्तमान खाते की स्थिति	ख.नं.	कुल रकबा	किस्म	रास्ता लम्बाई X चौड़ाई (गठ्ठा में) प्रस्तावित मार्ग का रकबा		प्रस्तावित किस्म	प्रस्तावित मार्ग का रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अणदाराम पुत्र सामाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	529/380	6.4316	बा.दो.	380	18	गै.मु. रास्ता	0.0631 हैक्टेयर

तहसीलदार बाटाडू उक्त प्रस्तावित मार्ग अनुसार डीएलसी की दूगुनी राशि की गणना करें। प्रार्थी उक्त भूमि की दूगुनी राशि के बैंकर्स चैक पेश करें। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर तहसीलदार बाटाडू राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा सम्बन्धित खातेदारान को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तहसीलदार बायतु द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 24.07.2023 के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 14/01/25 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर